रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1721] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 9, 2011/भाद्र 18, 1933
No. 1721] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 9, 2011/BHADRA 18, 1933

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2011

का.आ. 2060(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80गगच द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त धारा के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित शर्तों के अधीन बांडों को दीर्घावधिक अवसंरचना बांड के रूप में निर्दिष्ट करती है, अर्थात:-

(क) बांड का नाम- बांड का नाम "दीर्घावधिक अवसंरचना बांड होगा"।

(ख) बांड का जारीकर्ता- वित्त वर्ष 2011-12 में जारी किए जाने वाले दीर्घाविधिक अवसंरचना बांड निम्नलिखित द्वारा जारी किए जाएंगे-

1. औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) की धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित भारतीय औद्योगिक वित्त निगम;
2. जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम ;
3. कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अन्तर्गत गठित एवं पंजीकृत कम्पनी इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फाइनांस कम्पनी लिमिटेड;
4. कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अन्तर्गत गठित एवं पंजीकृत कम्पनी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनांस कम्पनी लिमिटेड
5. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवसंरचना वित्त कम्पनी के रूप में वर्गीकृत कोई गैर बैंकिंग वित्त कम्पनी।

(ग) निर्गम की सीमा- (i) बांड वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान जारी किया जाएगा; (ii) वित्त वर्ष के दौरान निर्गम की मात्रा वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान जारीकर्ता द्वारा किए गए वृद्धिमूलक अवसंरचना निवेश के 25 प्रतिशत तक सीमित होगी, (iii) इस सीमा के प्रयोजनार्थ निवेश में ऋण, बांड, अन्य प्रकार के ऋण, अर्ध-इक्विटी, वरीयता इक्विटी एवं इक्विटी शामिल होगी।

(घ) बांड की अवधि- (i) बांड की अवधि न्यूनतम दस वर्ष होगी; (ii) निवेशक के लिए न्यूनतम लॉक-इन अवधि पांच वर्ष होगी; (iii) लॉक-इन अवधि के बाद, निवेशक निर्गम के समय निर्गम दस्तावेजों में जारीकर्ता द्वारा निर्दिष्ट द्वितीयक बाजार के माध्यम से या पुन: खरीद की सुविधा के माध्यम से एक्जिट कर सकता है; (iv) उक्त लॉक- इन अवधि के बाद, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए बांड गिरवी या ग्रहणाधिकार या बंधक के रूप में भी अनुमत होगा।

(ड.) स्थाई खाता संख्या (पैन) का उल्लेख:- ग्राहकों के लिए जारीकर्ता को अपने पैन का उल्लेख करना अनिवार्य होगा;

(च) बंध-पत्र से लाभ:- बंध-पत्र का लाभ बंध-पत्र जारी होने के महीने के ठीक पिछले माह के अन्तिम कार्य-दिवस को भारतीय नियत आय धन बाजार एवं व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा यथा सूचित संगत अवशेष परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूतियों के लाभ से अधिक नहीं होगा;

(छ) लाभ तथा रिपोर्टिंग का अन्तिम उपयोग अथवा निगरानी तंत्र:- (i) बंध-पत्र के लाभ को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में यथा निर्धारित 'अवसंरचना ऋणों' के लिए उपयोग किया जाएगा;

(i) जारीकर्ता द्वारा संबंधित विनियामक प्राधिकरण की प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्टों तथा अन्य रिपोर्टों में अंतिम उपयोग को विधिवत वर्णित किया जाएगा तथा जारीकर्ता के सांविधिक लेखा-परीक्षक द्वारा विशिष्ट रूप से प्रमाणित किया जाएगा।

(ii) जारीकर्ता इनको भी निबंधन पत्रक के साथ वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन माह के भीतर अवसंरचना प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में दाखिल करेगा।

[अधिसूचना सं. 50/2011/फा. सं. 178/43/2011-एस ओ (आईटीए-I)]

रमण चोपड़ा, निदेशक-आईटीए-I

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2011

S.O. 2060(E).— In exercise of the powers conferred by section 80CCF of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies bonds, subject to the following conditions, as long-term infrastructure bonds for the purposes of the said section, namely:-

(a) Name of the bond.- The name of the bond shall be "The Long Term Infrastructure Bond"

(b) Issuer of the Bond.- The Long Term Infrastructure Bonds to be issued in the financial year 2011-2012 shall be issued by -

1. The Industrial Finance Corporation of India, established under section 3 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (15 of 1948);
2. The Life Insurance Corporation of India, established under section 3 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956);
3. The Infrastructure Development Finance Company Limited, a company formed and registered under the Companies Act, 1956(1 of 1956);
4. The India Infrastructure Finance Company Ltd; a company formed and registered under the Companies Act, 1956(1 of 1956); and
5. A Non-Banking Finance Company classified as an Infrastructure Finance Company by the Reserve Bank of India.

(c) Limit on issuance.- (i) The Bond will be issued during the financial year 2011-2012; (ii) the volume of issuance during the financial year shall be restricted to twenty-five percent of the incremental infrastructure investments made by the issuer during the financial year 2010-2011; (iii) 'investments' for the purposes of this limit shall include loans, bonds, other forms of debt, quasi-equity, preference equity and equity.

(d) Tenure of the bond.- (i) The tenure of the Bond shall be for a minimum period of ten years; (ii) the minimum lock-in period for an investor shall be five years (iii) after the lock-in period the investor may exit either through the secondary market or through a buyback facility, specified by the issuer in the issue documents at the time of issue; (iv) the bond shall also be allowed as pledge or lien or hypothetication for obtaining loans from Scheduled Commercial Banks, after the said lock-in period.

(e) Permanent Account Number (PAN) to be furnished:- It shall be mandatory for the subscribers to furnish their PAN to the issuer;

(f) Yield of the bond:- The yield of the bond shall not exceed the yield on government securities of corresponding residual maturity as reported by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA), as on the last working day of the month immediately preceding the month of the issue of the bond;

(g) End-use of proceeds and reporting or monitoring mechanism.- (i) The proceeds of the Bond shall be utilized towards 'infrastructure lending' as defined by the Reserve Bank of India in the Guidelines issued by it;

(i) the end-use shall be duly reported in the Annual Reports and other reports submitted by the issuer to the Regulatory Authority concerned, and specifically certified by the Statutory Auditor of the issuer;

(ii) the issuer shall also file these along with term sheets to the Infrastructure Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance within three months from the end of financial year.

[Notification No. 50/2011/F. No. 178/43/2011-SO (ITA. 1)]

RAMAN CHOPRA, Director-ITA. 1

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.